BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 232/2025

News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" published in The News Minute dated 26.04.2025

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Additional Reply Filed on Behalf of Respondent No. 3 – District Magistrate, Saharanpur, Uttar Pradesh Along with the Supporting Affidavit.	1-4
2.	**ANNEXURE 1** **Record of Disbursement of Compensation of ₹10,000/- to Dependents of Deceased Workers under Rule 103(8) of the Explosives Rules, 2008**	5
3.	**ANNEXURE 2** **A true copy of the Labour Court's judgment and award dated 28.08.2025 is annexed herewith and marked as Annexure A-2**	6-17
4.	**ANNEXURE 3** **A true copy of the District Magistrate's order dated 29.08.2025 is annexed herewith and marked as Annexure A-3**	18-22

THROUGH

Priyanka

Date: 29.08.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 232/2025

News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" published in The News Minute dated 26.04.2025

Additional **REPLY FILED ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 – DISTRICT MAGISTRATE, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal dated 26.04.2025, the State of Uttar Pradesh has already filed a comprehensive affidavit/report, apprising this Hon'ble Tribunal of the facts and remedial steps taken in relation to the unfortunate incident of explosion at Saharanpur.
2. It is respectfully submitted that in terms of Rule 103(8) of the Explosives Rules, 2008, the Licensing Authority has sanctioned and duly disbursed compensation of ₹10,000/- per deceased worker. As per the official record dated 19.07.2025, **placed herein as Annexure 1**, the dependents of the deceased workers namely (i) Smt. Hemlata W/o Late Kaka, (ii) Smt. Pusha W/o Late Vijay, and (iii) Shri Sandeep Kumar S/o Late Vishal, have each received a sum of ₹10,000/- through cheques issued by Punjab National Bank Bearing Nos. 174775, 174776, and 174777, all dated 18.07.2025.
3. That subsequent to the filing of the said affidavit, the Labour Court, Saharanpur, in Case No. ECA 8,9 & 10 of 2025, vide judgment and award dated 28/08/2025, has adjudicated the claims filed by the dependents of

deceased workmen and by the injured workers. By the said award, the Labour Court has directed payment of compensation as follows:

- Compensation of ₹ 12,09,065/- (Rupees twelve lakhs nine thousand sixty-five only) to the legal heirs of Rahul Alias Kaka S/O Ramkumar R/O Village Fatehpur Alias Sampla Divda.
- Compensation of ₹ 12,16,871/- (Rupees twelve lakhs sixteen thousand eight hundred seventy-one only) to the legal heirs of Vishal S/O Sandeep Kumar, R/O Village Gunersha.
- Compensation of ₹ 12,16,871/- (Rupees twelve lakhs sixteen thousand eight hundred seventy-one only) to the legal heirs of Vijay S/O Rajbal R/O Village Jadoda Jat.
- Interest @ 12% per annum from the date of filing of the claim petitions till actual realization.

A true copy of the Labour Court's judgment and award dated 28.08.2025 is annexed herewith and marked as Annexure A-2.

4. That following the above judicial award, the District Magistrate, Saharanpur, vide his Order dated 29/08/2025, directed immediate sanction and disbursement of the compensation amounts in favour of the beneficiaries, strictly in accordance with the Labour Court's order, The DM's order records compliance and confirms that the process of disbursement of compensation has been duly carried out for the benefit of the affected families. **A true copy of the District Magistrate's order dated 29.08.2025 is annexed herewith and marked as Annexure A-3.**
5. That it is respectfully submitted that the State of Uttar Pradesh, through its officers and instrumentalities, has taken all possible measures to extend relief and rehabilitation to the victims. Not only has the Labour Court adjudicated the claims, but the District Magistrate has also ensured that the directions are implemented without delay.

6. That in view of the above, this Hon'ble Tribunal may graciously take on record the subsequent developments, the Labour Court's award and the District Magistrate's compliance order dated 28.08.2025 and 29.08.2025 and may be pleased to record that the relief to the victims has already been ensured.

PRAYER

In light of the above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

a) Take on record the Labour Court's judgment and award dated 28/08/2025 passed in Case No. ECA 8,9 & 10 of 2025, Saharanpur;
b) Take on record the District Magistrate, Saharanpur's Order dated 29/08/2025, regarding sanction and disbursement of compensation;
c) Record that the State has complied with its obligation to provide relief and rehabilitation to the victims; and
d) Dispose of the matter in view of the compliance already effected.

THROUGH

Priyanka

Date: 29.08.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 232/2025

News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" published in The News Minute dated 26.04.2025

AFFIDAVIT

I, Manish Bansal, aged about 35 years S/o Ramavtar Bansal is presently posted as District Magistrate Saharanpur, U.P. having its office at Saharanpur.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as much competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Report has been drafted by our Counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.- 3286/10
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Saharanpur on this 03/09/25 day of 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

IDENTIFIED BY
KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No.-10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

DEPONENT

8Ho 3017

This affidavit is made before me to-... at my office... 10/10 A.M./P.M.
By Shri Manish Bansal S/o Ramavtar Bansal
who is identified by Shri Kaleem Ahmad Adv
The contents of the affidavit have been explained to the deponent who admit to understand them.
Saharanpur
U.P. INDIA
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
3/9/2025

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ

Manish Bansal

ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ DOB: 14/01/1990

ਮਰਦ / MALE

ਪਤਾ:

ਸਪੁੱਤਰ: ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 207/ਏ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਨੇੜੇ ਬਾਂਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ - 148001

Address:

S/O: Ram Avtar Bansal, House Number 207/A, Street Number 2, Near Bansal Hospital and Heart Centre, Dashmesh Avenue, Sangrur, Sangrur, Punjab - 148001

ਆਧਾਰ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.- 3286/10
GOVT. OF INDIA

11– विस्फोटक नियम–2008 के नियम–103(8) में मृतक कर्मकार को आतिशबाजी लाईसेंसी द्वारा रू. 10,000/–(रू0 दस हजार) प्रति मृतक व्यक्ति क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। 5

अतः लाईसेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षतिपूर्ति की धनराशि मृतक श्रमिको के आश्रितो को पत्र सं0 2005/आयुध सहायक दिनांक 19.07.2025**(छायाप्रति संलग्न–11)** के द्वारा तहसीलदार देवबन्द के माध्यम से निम्नवत क्षतिपूर्ति की धनराशि रू.10,000/–(रू0 दस हजार) के चैक का निम्नवत प्राप्ति कराई गई:–

क्र0 सं0	मृतक का नाम	लाभार्थी/आश्रित का नाम	बैंक का नाम	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	काका पुत्र रामकुमार नि0 फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा जिला सहारनपुर	श्रीमती हेमलता पत्नी काका नि0 फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा जिला सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंक, कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड सहारनपुर	174775	18.07.2025	10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र)
2	विजय पुत्र राजबल नि0 जडौदा जट जिला सहारनपुर	श्रीमती पुष्पा पत्नी राजबल नि0 जडौदा जट जिला सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंक, कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड सहारनपुर	174776	18.07.2025	10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र)
3	विशाल पुत्र संदीप नि0 गुनारसा जिला सहारनपुर	संदीप कुमार पुत्र ब्रिजपाल नि0 गुनारसा जिला सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंककलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड सहारनपुर	174777	18.07.2025	10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र)

ANNEXURE- 1

ANNEXURE-2

न्यायालय— आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर,अधिनियम,1923 एवं
सहायक श्रम आयुक्त, श्रम भवन, लेबर कालोनी, सहारनपुर।
वाद संख्या— ई0सी0ए0 08/2025

1—श्रीमती सुमन पत्नी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्रिजपाल, निवासीगण—ग्राम—गुनारसा, थाना व तहसील—देवबन्द, जिला—सहारनपुर
2—श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्रिजपाल ग्राम—गुनारसा, थाना व तहसील—देवबन्द, जिला—सहारनपुर ।

वादी पक्ष

— बनाम —

1—मैसर्स ईंगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) स्थित ग्राम—सलेमपुर माजरा पोस्ट जडौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला—सहारनपुर द्वारा मैनेजर।
2—नफीस पुत्र महमूद हसन निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला—सहारनपुर।
3—नदीम पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला—सहारनपुर।
4—कासिफ उर्फ नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला—सहारनपुर।
5—आसिफ पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबेन्द जिला—सहारनपुर।

प्रतिवादी पक्ष

:: आदेश ::

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय से योजित किया गया है कि वादीगण का पुत्र विपक्षीगण के यहां मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) में बतौर श्रमिक कार्य कर रहा था। दिनांक 26.04.2025 को प्रातः 5:00 बजे जब वादीगण का पुत्र विशाल पटाखा फैक्ट्री में कार्य कर रहा था, जो पटाखा फैक्ट्री मैसर्स ईगल फायर वर्क्स ग्राम—सलेमपुर माजरा पोस्ट—जड़ौदा जट् थाना व तहसील—देवबन्द जिला—सहारनपुर में स्थित है। वहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था जिसकी सूचना प्रार्थीगण को करीब 7:00 बजे सुबह प्राप्त हुई और इस पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में आग में झुलसने के कारण वादीगण के पुत्र विशाल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना की जानकारी मालिक नफीस व उसके लड़को नदीम व कासिफ को हो गयी थी। उक्त दुर्घटना में फैक्ट्री में हुए विस्फोट में अन्य श्रमिकों की भी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना देवबन्द में दर्ज करा दी गयी थी, जिस पर सम्बन्धित थाना देवबन्द द्वारा मृतक विशाल की बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया और पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गयी। मृतक विशाल का पोस्टमार्टम दिनांक 26.04.2025 को पी0एम0ओ0 जिला सहारनपुर द्वारा किया गया। मृतक विपक्षीगण के यहां पर पटाखों की बत्ती बनाने के कार्य पर कार्यरत था तथा वह प्रतिदिन रू0 500/— अर्थात रू0 15000/— प्रतिमाह मजदूरी पर कार्य करता था। मृतक की आयु दुर्घटना के

500/- अर्थात रू0 15000/- प्रतिमाह मजदूरी पर कार्य करता था। मृतक की आयु दुर्घटना के समय 22 वर्ष थी। वादीगण मृतक के आश्रित व वैद्य वारिस है। वादीगण मृतक पर आश्रित थे। मृतक के परिवार वालों को विपक्षीगण द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गयी और न ही कोई प्रतिकर बार-बार मांगने पर दिया गया। विपक्षीगण को दुर्घटना की सूचना तत्काल हो गयी थी। विपक्षीगण को दुर्घटना की जानकारी थी तथा विपक्षीगण का प्रतिष्ठान जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुर्घटना के समय विपक्षीगण के माध्यम से ही मृतक प्रतिष्ठान में नियोजित था। वादीगण मृतक की दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण प्रतिकर की धनराशि रू0 25,00,000/- व दुर्घटना की तिथि से 12 प्रतिशत ब्याज व वाद का व्यय तथा 50 प्रतिशत पेनेल्टी भी पाने का अधिकारी है। मृतक व विपक्षीगण में श्रमिक व मालिक का सम्बन्ध है तथा वादीगण मृतक की मृत्यु से उत्पन्न देय प्रतिकर पाने के अधिकारी है।

वाद को पंजीकृत कर पक्षों को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। प्रतिवादी पक्ष को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, जो डाकिया द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस किया गया कि बार-बार जाने पर भी कोई नहीं मिला जिसके पश्चात प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस प्रेषित किया गया, किन्तु प्रतिवादी पक्ष उक्त नोटिस के बावजूद भी वाद सुनवाई में किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी तरफ से कोई लिखित कथन ही दाखिल किया गया। अत्एव प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 20.08.2025 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। वादीगण की ओर से मृतक विशाल के पोस्टमार्टम की छायाप्रति व पंचनामे की छायाप्रति, व थाना देवबन्द के सामान्य दैनिकी विवरण की छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट की छायाप्रति व परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, व प्रपत्र क 20 अग्नि रिपोर्ट का प्रपत्र व थाना देवबन्द की रिपोर्ट की छायाप्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी।

वादी पक्ष की ओर से श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्रिजपाल, उम्र-लगभग-45 निवासी-गांव-गुनारसा, थाना व तहसील-देवबन्द जिला-सहारनपुर की साक्ष्य करायी गयी। साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया कि मैं मृतक विशाल का पिता हूं, और मेरा पुत्र ईगल फायर वर्क्स/पटाखा फैक्ट्री में नियोजित था। दिनांक- 26.04.2025 को प्रातः 5:00 बजे वह अपनी डयूटी कर रहा था, कि डयूटी के दौरान फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण मेरे पुत्र को आग में झुलस जाने के कारण व बारूद शरीर पर लगने के कारण शरीर में गम्भीर शारीरिक चोटें आयी थी, और चोटों के कारण मेरे पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। मेरे पुत्र की मृत्यु विपक्षीगण के नियोजन काल में उनके निर्देशानुसार कार्य करते हुए नियोजन के कम में कारित हुई। दुर्घटना के समय मेरे पुत्र की आयु 22 साल थी, तथा मेरे पुत्र की दैनिक मंजदूरी रू0 500/- थी, और प्रतिमाह विपक्षी के यहां रू0-15000/- मासिक वेतन अर्जित कर लेता था। विपक्षी 12-12 घंटे कार्य लेता था। इस दुर्घटना की सूचना मुझे करीब 7:00 बजे सुबह प्राप्त हुई थी और मैं भी दुर्घटना के बाद मौके पर चला गया था। मैं व मेरी पत्नी अपने पुत्र पर ही आश्रित थे। इस दुर्घटना के बावत जो क्षतिपूर्ति बनती थी। वह विपक्षीगण ने आज तक भी अदा नहीं की है। इस बावत उप श्रमायुक्त महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए विपक्षीगण को धारा 10 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के

अन्तर्गत नोटिस भी जारी किया गया था, परन्तु विपक्षीगण द्वारा देय प्रतिकर धनराशि जमा नहीं की गयी। इस दुर्घटना के बावत थाना देवबन्द को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जो मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इसके अलावा मेरे पुत्र का पोस्टमार्टम भी पुलिस द्वारा कराया गया था जिसे मैं आज अपनी सूची के साथ कागज संख्या–01 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर द्वारा जलने से व विस्फोट से क्रैश इंजरी (फटे हुए घाव) के कारणों से मृत्यु का कारण दर्शाया गया है। पेपर नं–02 अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट है। पेपर नं0–04 परिवार रजिस्टर की नकल है। मुझे विपक्षीगण से देय प्रतिकर धनराशि मय ब्जाज व पैनेल्टी अदा करायी जाए। प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में वादी साक्षी से कोई जिरह नहीं हुई।

वादी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों साक्ष्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर वादी पक्ष द्वारा अपने वाद पत्र को अपनी साक्ष्य से पुष्ट किया गया है। प्रतिवादी सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय किया गया। प्रतिवादीगण के वाद में उपस्थित न होने एवं उनके द्वारा वादी के वाद पत्र के कथनों का प्रतिवाद न करने के कारण वादी पक्ष का कथन अकाट्य रहता है। वादी पक्ष के कथनों को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही रह जाता है। मैं वादी पक्ष के कथन से सहमत हूँ कि वादीगण का पुत्र प्रतिवादीगण के प्रतिष्ठान मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) जो ग्राम–सलेमपुर माजरा पोस्ट जड़ौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर में स्थित है, में बतौर मजदूर का कार्य करने के लिए नियोजित कर्मचारी था, जिसकी दिनांक 26.04.2025 को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण मृत्यु हो गयी थी और मृतक के विधिक आश्रित कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है।उम्र के विषय में वादी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो चिकित्सकों द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम में परीक्षण आयु 22 वर्ष अंकित की गयी, अतएव मृतक विशाल की पोस्टमार्टम में दी गयी उम्र 22 वर्ष स्वीकार करते हुए व मृतक विशाल के वेतन रू0 15000/– माहवार के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन रू0 10994/– को मानते हुए गणना अनुसार प्रतिवादीगण पर क्षतिपूर्ति रू0 12,16,871 अवधारित की जाती है। जिस भुगतान करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण का है।

चूंकि दुर्घटना की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को दुर्घटना की तिथि से ही है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अधिनियम की व्यवस्थानुसार नियत अवधि में वादीगण को निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया इसलिए अधिनियम की धारा 4(ए)3(बी) के अन्तर्गत प्रतिवादी पक्ष को नोटिस दिये जाते है कि वह विलम्ब के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण आदेश तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें कि क्यों न प्रतिवादी पक्ष पर अवधारित क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत अर्थदण्ड अवधारित कर दिया जाए।

अतः प्रतिवादी मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) जो ग्राम– सलेमपुर माजरा पोस्ट जड़ौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर में स्थित है, के मालिकों/ऑक्यूपायर्स को आदेश दिये जाते हैं कि वह **अवधारित क्षतिपूर्ति रू0 12,16,871 (बारह लाख सोलह हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र)** को आदेश तिथि से 30 दिन के अन्दर आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर सहारनपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से इस न्यायालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान दुर्घटना तिथि से 01 माह के अन्दर वादीगण को नहीं किया गया है अतएव अधिनियम की धारा 4(ए)3(बी) में दी गयी व्यवस्था अनुसार प्रतिवादी पक्ष को यह भी निर्देश दिये जाते है कि अवधारित क्षतिपूर्ति पर दुर्घटना की तिथि दिनांक 26.04.2025 के 01 माह पश्चात से भुगतान जमा करने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश आज दिनांक 22.08.2025 को खुले न्यायालय में मुद्रा सहित हस्ताक्षर कर निर्गत किया गया ।

दिनांक 22.08.2025

प्रवीण चन्द्र दत्त
आयुक्त
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923
एवं सहायक श्रमायुक्त, सहारनपुर।

Date of Application 28/8/25
Date of Ready 28/8/25
Date of Delivery 28/8/25
Copying Clerk Anjali 28/8/25 वादसहायक

न्यायालय— आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर,अधिनियम,1923 एवं
सहायक श्रम आयुक्त, श्रम भवन, लेबर कालोनी, सहारनपुर।
वाद संख्या— ई0सी0ए0 09/2025

1—श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री राजबल पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी—ग्राम—जड़ौदा जट्, थाना व तहसील—देवबन्द, जिला—सहारनपुर
2—श्री राजबल पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम— जड़ौदा जट्, थाना व तहसील—देवबन्द, जिला—सहारनपुर।

वादी पक्ष

— बनाम —

1—मैसर्स ईंगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) स्थित ग्राम—सलेमपुर माजरा पोस्ट जडौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला—सहारनपुर द्वारा मैनेजर।
2—नफीस पुत्र महमूद हसन निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला—सहारनपुर।
3—नदीम पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला—सहारनपुर।
4—कासिफ उर्फ नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला—सहारनपुर।
5—आसिफ पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला—सहारनपुर।

प्रतिवादी पक्ष

:: आदेश ::

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय से योजित किया गया है कि वादीगण का पुत्र विपक्षीगण के यहां मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) में बतौर श्रमिक कार्य कर रहा था। दिनांक 26.04.2025 को प्रातः 5:00 बजे जब वादीगण का पुत्र विजय पटाखा फैक्ट्री में कार्य कर रहा था, जो पटाखा फैक्ट्री मैसर्स ईगल फायर वर्क्स ग्राम—सलेमपुर माजरा पोस्ट—जड़ौदा जट् थाना व तहसील—देवबन्द जिला—सहारनपुर में स्थित है। वहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था जिसकी सूचना प्रार्थीगण को करीब 7:00 बजे सुबह प्राप्त हुई और इस पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में आग में झुलसने के कारण वादीगण के पुत्र विजय की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना की जानकारी मालिक नफीस व उसके लड़को नदीम व कासिफ को हो गयी थी। उक्त दुर्घटना में फैक्ट्री में हुए विस्फोट में अन्य श्रमिकों की भी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना देवबन्द में दर्ज करा दी गयी थी, जिस पर सम्बन्धित थाना देवबन्द द्वारा मृतक विजय की बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया और पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गयी। मृतक विजय का पोस्टमार्टम दिनांक 26.04.2025 को पी0एम0ओ0 जिला सहारनपुर द्वारा किया गया। मृतक विपक्षीगण के यहां पर पटाखों की बत्ती बनाने के कार्य पर कार्यरत था तथा वह प्रतिदिन रू0

500/- अर्थात रू0 15000/- प्रतिमाह मजदूरी पर कार्य करता था। मृतक की आयु दुर्घटना के समय 22 वर्ष थी। वादीगण मृतक के आश्रित व वैद्य वारिस हैं। वादीगण मृतक पर आश्रित थे। मृतक के परिवार वालों को विपक्षीगण द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गयी और न ही कोई प्रतिकर बार-बार मांगने पर दिया गया। विपक्षीगण को दुर्घटना की सूचना तत्काल हो गयी थी। विपक्षीगण को दुर्घटना की जानकारी थी तथा विपक्षीगण का प्रतिष्ठान जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुर्घटना के समय विपक्षीगण के माध्यम से ही मृतक प्रतिष्ठान में नियोजित था। वादीगण मृतक की दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण प्रतिकर की धनराशि रू0 25,00,000/- व दुर्घटना की तिथि से 12 प्रतिशत ब्याज व वाद का व्यय तथा 50 प्रतिशत पेनेल्टी भी पाने का अधिकारी है। मृतक व विपक्षीगण में श्रमिक व मालिक का सम्बन्ध है तथा वादीगण मृतक की मृत्यु से उत्पन्न देय प्रतिकर पाने के अधिकारी है।

वाद को पंजीकृत कर पक्षों को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। प्रतिवादी पक्ष को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, जो डाकिया द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस किया गया कि बार-बार जाने पर भी कोई नहीं मिला जिसके पश्चात प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस प्रेषित किया गया, किन्तु प्रतिवादी पक्ष उक्त नोटिस के बावजूद भी वाद सुनवाई में किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी तरफ से कोई लिखित कथन ही दाखिल किया गया। अत्एव प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 20.08.2025 को उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। वादीगण की ओर से मृतक विजय के पोस्टमार्टम की छायाप्रति व पंचनामे की छायाप्रति, व थाना देवबन्द के सामान्य दैनिकी विवरण की छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट की छायाप्रति व परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, व प्रपत्र क 20 अग्नि रिपोर्ट का प्रपत्र व थाना देवबन्द की रिपोर्ट की छायाप्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी।

वादी पक्ष की ओर से श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री राजबल उम्र-लगभग 45 वर्ष निवासी-ग्राम-जड़ौदा जट् थाना व तहसील- देवबन्द जिला-सहारनपुर की साक्ष्य करायी गयी। साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया कि मैं मृतक मैं मृतक विजय की माता हूं, और मेरा पुत्र ईगल फायर वर्क्स/पटाखा फैक्ट्री में नियोजित था। दिनांक- 26.04.2025 को प्रातः 5:00 बजे वह अपनी ड्यूटी कर रहा था, कि ड्यूटी के दौरान फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण मेरे पुत्र को आग में झुलस जाने के कारण व बारूद शरीर पर लगने के कारण शरीर में गम्भीर शारीरिक चोटें आयी थी, और चोटों के कारण मेरे पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। मेरे पुत्र की मृत्यु विपक्षीगण के नियोजन काल में उनके निर्देशानुसार कार्य करते हुए नियोजन के कम में कारित हुई। दुर्घटना के समय मेरे पुत्र की आयु 22 साल थी, तथा मेरे पुत्र की दैनिक मजदूरी रू0 500/- थी, और प्रतिमाह विपक्षी के यहां रू0-15000/- मासिक वेतन अर्जित कर लेता था। विपक्षी 12-12 घंटे कार्य लेता था। इस दुर्घटना की सूचना मुझे करीब 7:00 बजे सुबह प्राप्त हुई थी और मैं भी दुर्घटना के बाद मौके पर चली गयी थी। मैं व मेरे पति अपने पुत्र पर ही निर्भर करते थे। घर में वहीं अकेला कमाने वाला था। इस दुर्घटना के बावत जो क्षतिपूर्ति बनती थी। वह विपक्षीगण ने आज तक भी अदा नहीं की है। इस बावत उप श्रमायुक्त महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए विपक्षीगण को धारा 10 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किया गया था, परन्तु विपक्षीगण द्वारा देय प्रतिकर धनराशि जमा नहीं की गयी। इस दुर्घटना के बावत थाना देवबन्द को

विपक्षीगण को धारा 10 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किया गया था, परन्तु विपक्षीगण द्वारा देय प्रतिकर धनराशि जमा नहीं की गयी। इस दुर्घटना के बावत थाना देवबन्द को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जो मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इसके अलावा मेरे पुत्र का पोस्टमार्टम भी पुलिस द्वारा कराया गया था जिसे मैं आज अपनी सूची के साथ कागज संख्या--01 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर द्वारा जलने से व विस्फोट से केश इंजरी (फटे हुए घाव) के कारणों से मृत्यु का कारण दर्शाया गया है। पेपर नं--02 अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट है। पेपर नं0--04 परिवार रजिस्टर की नकल है। मुझे विपक्षीगण से देय प्रतिकर धनराशि मय ब्जाज व पैनेल्टी अदा करायी जाए। प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में वादी साक्षी से कोई जिरह नहीं हुई।

वादी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों साक्ष्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर वादी पक्ष द्वारा अपने वाद पत्र को अपनी साक्ष्य से पुष्ट किया गया है। प्रतिवादी सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय किया गया। प्रतिवादीगण के वाद में उपस्थित न होने एवं उनके द्वारा वादी के वाद पत्र के कथनों का प्रतिवाद न करने के कारण वादी पक्ष का कथन अकाट्य रहता है। वादी पक्ष के कथनों को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही रह जाता है। मैं वादी पक्ष के कथन से सहमत हूँ कि वादीगण का पुत्र मृतक विजय प्रतिवादीगण के प्रतिष्ठान मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) जो ग्राम-- सलेमपुर माजरा पोस्ट जड़ौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला--सहारनपुर में स्थित है, में बतौर मजदूर का कार्य करने के लिए नियोजित कर्मचारी था, जिसकी दिनांक 26.04.2025 को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण मृत्यु हो गयी थी और मृतक के विधिक आश्रित कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है।उम्र के विषय में वादी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो चिकित्सकों द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम में परीक्षण आयु 22 वर्ष अंकित की गयी, अतएव मृतक विजय की पोस्टमार्टम में दी गयी उम्र 22 वर्ष स्वीकार करते हुए व मृतक विजय के वेतन रू0 15000/-- माहवार के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन रू0 10994/-- को मानते हुए गणना अनुसार प्रतिवादीगण पर क्षतिपूर्ति रू0 12,16,871 अवधारित की जाती है। जिसे भुगतान करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण का है।

चूंकि दुर्घटना की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को दुर्घटना की तिथि से ही है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अधिनियम की व्यवस्थानुसार नियत अवधि में वादीगण को निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया इसलिए अधिनियम की धारा 4(ए)3(बी) के अन्तर्गत प्रतिवादी पक्ष को नोटिस दिये जाते है कि वह विलम्ब के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण आदेश तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें कि क्यों न प्रतिवादी पक्ष पर अवधारित क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत अर्थदण्ड अवधारित कर दिया जाए।

अतः प्रतिवादी मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) जो ग्राम– सलेमपुर माजरा पोस्ट जड़ौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर में स्थित है, के मालिकों/ऑक्यूपायर्स को आदेश दिये जाते हैं कि वह **अवधारित क्षतिपूर्ति रू0 12,16,871 (बारह लाख सोलह हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र)** को आदेश तिथि से 30 दिन के अन्दर आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर सहारनपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से इस न्यायालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान दुर्घटना तिथि से 01 माह के अन्दर वादीगण को नहीं किया गया है अतएव अधिनियम की धारा 4(ए)3(बी) में दी गयी व्यवस्था अनुसार प्रतिवादी पक्ष को यह भी निर्देश दिये जाते है कि अवधारित क्षतिपूर्ति पर दुर्घटना की तिथि दिनांक 26.04.2025 के 01 माह पश्चात से भुगतान जमा करने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में मुद्रा सहित हस्ताक्षर कर निर्गत किया गया।

दिनांक : 26.08.2025

प्रवीण चन्द्र दत्त
आयुक्त
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923
एवं सहायक श्रमायुक्त, सहारनपुर।

Date of Application: 28/8/25
Date of Ready: 28/8/25
Date of Delivery: 28/8/25
Copying Clerk: [signature] 28/8/25 वाद सहायक

न्यायालय– आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर,अधिनियम,1923 एवं
सहायक श्रम आयुक्त, श्रम भवन, लेबर कालोमी, सहारनपुर।

वाद संख्या– ई0सी0ए0 10/2025

1–श्रीमती मुनेजा पत्नी श्री रामकुमार निवासीगण–ग्राम–फतेहपुर उर्फ सांपला दीवड़ा थाना व तहसील–देवबन्द, जिला–सहारनपुर

2–श्री रामकुमार भमूला ग्राम–फतेहपुर उर्फ सांपला दीवड़ा थाना व तहसील–देवबन्द, जिला–सहारनपुर

3–हेमलता पत्नी काका निवासी–ग्राम–फतेहपुर सांपला दीवड़ा थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर।

4–लविश पुत्र राहुल उर्फ काका निवासी–ग्राम–फतेहपुर सांपला दीवड़ा थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर।

वादी पक्ष

– बनाम –

1–मैसर्स ईंगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) स्थित ग्राम–सलेमपुर माजरा पोस्ट जडौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर द्वारा मैनेजर।

2–नफीस पुत्र महमूद हसन निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला–सहारनपुर।

3–नदीम पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला–सहारनपुर।

4–कासिफ उर्फ नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला–सहारनपुर।

5–आसिफ पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जिला–सहारनपुर।

प्रतिवादी पक्ष

:: आदेश ::

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय से योजित किया गया है कि वादीगण का पुत्र/पति/पिता विपक्षीगण के यहां मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) में बतौर श्रमिक कार्य कर रहा था। दिनांक 26.04.2025 को प्रातः 5:00 बजे जब वादीगण का पुत्र/पति/पिता राहुल उर्फ काका पटाखा फैक्ट्री में कार्य कर रहा था, जो पटाखा फैक्ट्री मैसर्स ईगल फायर वर्क्स ग्राम–सलेमपुर माजरा पोस्ट–जड़ौदा जट् थाना व तहसील–देवबन्द जिला–सहारनपुर में स्थित है। वहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था जिसकी सूचना प्रार्थीगण को करीब 7:00 बजे सुबह प्राप्त हुई और इस पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में आग में झुलसने के कारण वादीगण के पुत्र/पति/पिता राहुल उर्फ काका की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना की जानकारी मालिक नफीस व उसके लड़को नदीम व कासिफ को हो गयी थी। उक्त दुर्घटना में फैक्ट्री में हुए विस्फोट में अन्य श्रमिकों की भी

घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना देवबन्द में दर्ज करा दी गयी थी, जिस पर सम्बन्धित थाना देवबन्द द्वारा मृतक राहुल उर्फ काका की बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया और पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गयी। मृतक राहुल उर्फ काका का पोस्टमार्टम दिनांक 26.04.2025 को पी0एम0ओ0 जिला सहारनपुर द्वारा किया गया। मृतक विपक्षीगण के यहां पर पटाखों की बत्ती बनाने के कार्य पर कार्यरत था तथा वह प्रतिदिन रू0 500/– अर्थात रू0 15000/– प्रतिमाह मजदूरी पर कार्य करता था। मृतक की आयु दुर्घटना के समय 22 वर्ष थी। वादीगण मृतक के आश्रित व वैद्ध वारिस है। मृतक विवाहित था, इसकी पत्नी का नाम हेमलता है तथा एक पुत्र आयु 04 माह है, तथा वादीगण मृतक पर आश्रित थे। मृतक के परिवार वालों को विपक्षीगण द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गयी और न ही कोई प्रतिकर बार–बार मांगने पर दिया गया। विपक्षीगण को दुर्घटना की सूचना तत्काल हो गयी थी। विपक्षीगण को दुर्घटना की जानकारी थी तथा विपक्षीगण का प्रतिष्ठान जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुर्घटना के समय विपक्षीगण के माध्यम से ही मृतक प्रतिष्ठान में नियोजित था। वादीगण मृतक की दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण प्रतिकर की धनराशि रू0 25,00,000/– व दुर्घटना की तिथि से 12 प्रतिशत ब्याज व वाद का व्यय तथा 50 प्रतिशत पेनेल्टी भी पाने का अधिकारी है। मृतक व विपक्षीगण में श्रमिक व मालिक का सम्बन्ध है तथा वादीगण मृतक की मृत्यु से उत्पन्न देय प्रतिकर पाने के अधिकारी है।

वाद को पंजीकृत कर पक्षों को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। प्रतिवादी पक्ष को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, जो डाकिया द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस किया गया कि बार–बार जाने पर भी कोई नहीं मिला जिसके पश्चात प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस प्रेषित किया गया, किन्तु प्रतिवादी पक्ष उक्त नोटिस के बावजूद भी वाद सुनवाई में किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी तरफ से कोई लिखित कथन ही दाखिल किया गया। अत्एव प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 20.08.2025 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। प्रस्तुत वाद में मृतक राहुल उर्फ काका की ओर से उसकी पत्नी श्रीमती हेमलता व पुत्र लविश की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद में संशोधन कर वाद में उन्हें पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 20.08.2025 को मृतक की पत्नी श्रीमती हेमलता व मृतक के पुत्र लविश को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जिस पर मृतक की पत्नी व उसके पुत्र के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.08.2025 को वाद पत्र में संशोधन कर श्रीमती हेमलता व लविश को पक्षकार बनाया गया। वादीगण की ओर से मृतक राहुल के पोस्टमार्टम की छायाप्रति व पंचनामे की छायाप्रति, व थाना देवबन्द के सामान्य दैनिकी विवरण की छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट की छायाप्रति व परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, व प्रपत्र क 20 अग्नि रिपोर्ट का प्रपत्र व थाना देवबन्द की रिपोर्ट की छायाप्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी।

वादी पक्ष की ओर से श्रीमती मुनेजा पत्नी श्री रामकुमार, उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी–ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवड़ा थाना व तहसील– देवबन्द जिला–सहारनपुर की साक्ष्य करायी गयी। साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया कि मैं मृतक राहुल उर्फ काका की माता हूं, और

मेरा पुत्र ईगल फायर वर्क्स/पटाखा फैक्ट्री में नियोजित था। दिनांक– 26.04.2025 को प्रातः 5:00 बजे वह अपनी डयूटी कर रहा था, कि डयूटी के दौरान फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण मेरे पुत्र को आग में झुलस जाने के कारण व बारूद शरीर पर लगने के कारण शरीर में गम्भीर शारीरिक चोटें आयी थी, और चोटों के कारण मेरे पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। मेरे पुत्र की मृत्यु विपक्षीगण के नियोजन काल में उनके निर्देशानुसार कार्य करते हुए नियोजन के क्रम में कारित हुई। दुर्घटना के समय मेरे पुत्र की आयु 22 साल थी, तथा मेरे पुत्र की दैनिक मजदूरी रू0 500/– थी, और प्रतिमाह विपक्षी के यहां रू0–15000/– मासिक वेतन अर्जित कर लेता था। विपक्षी 12–12 घंटे कार्य लेता था। इस दुर्घटना की सूचना मुझे करीब 7:00 बजे सुबह प्राप्त हुई थी और मैं भी दुर्घटना के बाद मौके पर चली गयी थी। मैं व मेरे पति व मृतक की पत्नी हेमलता व मृतक का पुत्र लवीश, अपने पुत्र पर ही निर्भर करते थे। घर में वहीं अकेला कमाने वाला था। इस दुर्घटना के बावत जो क्षतिपूर्ति बनती थी, वह विपक्षीगण ने आज तक भी अदा नहीं की है। इस बावत उप श्रमायुक्त महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए विपक्षीगण को धारा 10 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किया गया था, परन्तु विपक्षीगण द्वारा देय प्रतिकर धनराशि जमा नहीं की गयी। इस दुर्घटना के बावत थाना देवबन्द को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जो मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इसके अलावा मेरे पुत्र का पोस्टमार्टम भी पुलिस द्वारा कराया गया था जिसे मैं आज अपनी सूची के साथ कागज संख्या–01 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर द्वारा जलने से व विस्फोट से क्रेश इंजरी (फटे हुए घाव) के कारणों से मृत्यु का कारण दर्शाया गया है। पेपर नं–02 अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट है। पेपर नं0–04 परिवार रजिस्टर की नकल है। मुझे विपक्षीगण से देय प्रतिकर धनराशि मय ब्जाज व पैनेल्टी अदा करायी जाए। प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में वादी साक्षी से कोई जिरह नहीं हुई।

वादी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों साक्ष्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर वादी पक्ष द्वारा अपने वाद पत्र को अपनी साक्ष्य से पुष्ट किया गया है। प्रतिवादी सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय किया गया। प्रतिवादीगण के वाद में उपस्थित न होने एवं उनके द्वारा वादी के वाद पत्र के कथनों का प्रतिवाद न करने के कारण वादी पक्ष का कथन अकाट्य रहता है। वादी पक्ष के कथनों को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही रह जाता है। मैं वादी पक्ष के कथन से सहमत हूँ कि वादीगण का पुत्र/पति/पिता प्रतिवादीगण के प्रतिष्ठान मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) जो ग्राम– सलेमपुर माजरा पोस्ट जड़ौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर में स्थित है, में बतौर मजदूर का कार्य करने के लिए नियोजित कर्मचारी था, जिसकी दिनांक 26.04.2025 को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण मृत्यु हो गयी थी और मृतक के विधिक आश्रित कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है।उम्र के विषय में वादी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो चिकित्सकों द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम में परीक्षण आयु 23 वर्ष अंकित की गयी, अतएव मृतक राहुल की पोस्टमार्टम में दी गयी उम्र 23 वर्ष स्वीकार करते

उप श्रम आयुक्त

हुए व मृतक राहुल के वेतन रू0 15000/– माहवार के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित अकुशल श्रमिक का, न्यूनतम वेतन रू0 10994/– को मानते हुए गणना अनुसार प्रतिवादी गण पर क्षतिपूर्ति रू0 12,09,065 अवधारित की जाती है। जिस भुगतान करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण का है।

चूंकि दुर्घटना की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को दुर्घटना की तिथि से ही है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अधिनियम की व्यवस्थानुसार नियत अवधि में वादीगण को निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया इसलिए अधिनियम की धारा 4(ए)3(बी) के अन्तर्गत प्रतिवादी पक्ष को नोटिस दिये जाते है कि वह विलम्ब के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण आदेश तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें कि क्यों न प्रतिवादी पक्ष पर अवधारित क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत अर्थदण्ड अवधारित कर दिया जाए।

अतः प्रतिवादी मैसर्स ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) जो ग्राम– सलेमपुर माजरा पोस्ट जड़ौदा जट् थाना व तहसील देवबन्द जिला–सहारनपुर में स्थित है, के मालिकों/ऑक्यूपायर्स को आदेश दिये जाते हैं कि वह अवधारित क्षतिपूर्ति रू0 12,09,065 (बारह लाख नौ हजार पैसठ मात्र) को आदेश तिथि से 30 दिन के अन्दर आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर सहारनपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से इस न्यायालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान दुर्घटना तिथि से 01 माह के अन्दर वादीगण को नहीं किया गया है अतएव अधिनियम की धारा 4(ए)3(बी) में दी गयी व्यवस्था अनुसार प्रतिवादी पक्ष को यह भी निर्देश दिये जाते है कि अवधारित क्षतिपूर्ति पर दुर्घटना की तिथि दिनांक 26.04.2025 के 01 माह पश्चात से भुगतान जमा करने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय में मुद्रा सहित हस्ताक्षर कर निर्गत किया गया ।

दिनांक : 28.08.2025

प्रवीण चन्द्र दत्त
आयुक्त
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923
एवं सहायक श्रमायुक्त, सहारनपुर।

Date of Application 28/8/25
Date of Ready 28/8/25
Date of Delivery 28/8/25
Copying Clerk
Anjali 28/8/25 वादसहायक

ANNEXURE- 3

अति आवश्यक/मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।

संख्याः 160 /आयुद्व सहायक

दिनांकः अगस्त 29 ,2025

विषयः– Original Application No 232/2025 News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" appearing in the News Minute dated 26.04.2025 में प्रत्युत्तर दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
सहारनपुर।

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No 232/2025 News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" appearing in the News Minute dated 26.04.2025 में जारी नोटिस दिनांक 31.05.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें क्रमांक–3 पर जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर को प्रत्युत्तरदाता बनाया गया है। नोटिस में निम्नवत उल्लिखित हैः–
Issue notice to the above respondents fot filling their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.
List on 17.09.2025

उक्त नोटिस के आधार पर आपको कार्यालय के पत्र सं0 1777/आयुध सहायक दिनांक 06.06.2025 के द्वारा Original Application No 232/2025 News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" appearing in the News Minute dated 26.04.2025 में जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल कराने हेतु नामित करते हुये निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर दाखिल कराने की कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

इसके उपरांत सुश्री प्रियंका स्वामी, अधिवक्ता, स्टेट आफ यू0पी0 सीनियर पैनेल, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया का ईमेल दिनांक 24.06.2025 प्राप्त हुआ, जो पत्र सं0 1881/आयुध सहायक दिनांक 27.06.2025 के द्वारा आपको कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इसके उपरांत सुश्री प्रियंका स्वामी, अधिवक्ता, स्टेट आफ यू0पी0 सीनियर पैनेल, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया का ईमेल दिनांक 25.06.2025 प्राप्त हुआ, जो कैम्प कार्यालय के पृष्ठांकन सं0 1631 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि/रा0) तथा क्षेत्रीय अधिकारी,उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को प्रेषित किया गया है। मा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No 232/2025 News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" appearing in the News Minute dated 26.04.2025 में नियत दिनांक 17.09.2025 से एक सप्ताह पूर्व दिनांक 10.09.2025 तक जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की ओर से प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जाना है।

District Magistrate Office Arms Section Saharanpur (U.P.)

प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराना है:–

1–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में Original Application No 232/2025, मौ0नफीस पुत्र महमूद हसन नि0 मौ0 मुलतियान कायस्थवाडा थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर के आतिशबाजी लाईसेंस सं0 78/2022(**छायाप्रति संलग्न–1**) क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण कार्यस्थल खसरा नं0 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर में दिनांक 26.04.2025 की प्रातःकाल विस्फोट/आग लगने की घटना के संबंध में योजित किया गया है।

2–घटना के संबंध में थाना देवबन्द पर दर्ज मु0अ0सं0 0241/2025 अ0धारा 288/105/238 बीएनएस, 2023 व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 (**छायाप्रति संलग्न–2**) के अनुसार आतिशबाजी इकाई में मजदूरी करने वाले 03 श्रमिको की आतिशबाजी इकाई में हुये विस्फोट से मृत्यु हो गई है।

3– घटना के बाद आदेश सं0 1493/आयुध सहायक दिनांक 26.04.2025(**छायाप्रति संलग्न–3**) के द्वारा मौ0नफीस पुत्र महमूद हसन नि0 मौ0 मुलतियान कायस्थवाडा थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर के आतिशबाजी लाईसेंस सं0 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण कार्यस्थल खसरा नं0 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर को तत्काल प्रभाव से सील किया गया।

4– आदेश सं0 1493/आयुध सहायक दिनांक 26.04.2025(**छायाप्रति संलग्न–4**) के द्वारा घटना की विस्तृत जांच हेतु निम्नवत समिति का गठन किया गया:–

1–उप जिला मजिस्ट्रेट, देवबन्द

2–क्षेत्राधिकारी देवबन्द

3–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहारनपुर

उक्त समिति को विस्फोट के कारण की विस्तृत जांच कर 03 दिवस में अपनी सुस्पष्ट आख्या कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

5–मौ0नफीस पुत्र महमूद हसन नि0 मौ0 मुलतियान कायस्थवाडा थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर के आतिशबाजी लाईसेंस सं0 78/2022 को कार्यालय आदेश सं0 1501/आयुध सहायक दिनांक 26.04.2025(**छायाप्रति संलग्न–5**) के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये आतिशबाजी लाईसेंस को निलम्बित किया गया।

6–कार्यालय आदेश सं0 1504/आयुध सहायक दिनांक 26.04.2025(**छायाप्रति संलग्न–6**) के द्वारा जनपद सहारनपुर में कार्यरत आतिशबाजी इकाईयो का संयुक्त भौतिक सत्यापन करने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया गया:–

टीम सं0	मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकारी	अग्निशमन अधिकारी
01	नगर मजिस्टेट सहारनपुर	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम/द्वितीय	मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर
02	उपजिला मजिस्ट्रेट सदर	क्षेत्राधिकारी पुलिस सदर/द्वितीय	क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी
03	उपजिला मजिस्ट्रेट नकुड़	क्षेत्राधिकारी पुलिस नकुड़	क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी
04	उपजिला मजिस्ट्रेट बेहट	क्षेत्राधिकारी पुलिस बेहट	क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी
05	उपजिला मजिस्ट्रेट रामपुर मनिहारान	क्षेत्राधिकारी पुलिस नकुड़	क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी
06	उप जिला मजिस्ट्रेट देवबन्द	क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबन्द	क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी

7– आदेश सं0 1493/आयुध सहायक दिनांक 26.04.2025 के द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा अपनी जांच आख्या पत्र सं0 1484/पी0ए0 दिनांक 29.04.2025(**छायाप्रति संलग्न–7**) में निम्नवत अवगत कराया गया है:–

District Magistrate Office Arms Section Saharanpur (U.P.)

1–घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लाईसेंसधारी द्वारा फूलझडी/अनार का निर्माण न करके प्रतिबंधित पटाखा जिसे स्थानीय भाषा में तिल्ली कहा जाता है, का निर्माण कराया जा रहा था, जो कि लाईसेंसो की शर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

2–उक्त घटना दिनांक 26.04.2025 को प्रातः 06.50 बजे घटित हुई जिससे प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आतिशबाजी निर्माण स्थल पर रात्री में भी कार्य कराया जा रहा था जो कि विस्फोटक अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

3–उक्त स्थल पर बनाये जा रहे प्रतिबंधित पटाखे तिल्ली में संभवतः किसी प्रतिबंधित रसायन का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके परीक्षण के लिये थाना पुलिस द्वारा एफ0एस0एल0 एंव बी0डी0एस0 टीम द्वारा नमूनो का एकत्र कर जांच के लिये प्रयोगशाला भेजा गया।

4–उक्त स्थल पर लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत का प्रयोग किया जा रहा था, क्योकि मौके पर इनवर्टर, पंखा, टयूब लाईट आदि इलैक्ट्रानिक उपकरणो का होना पाया गया जो कि विस्फोटक अधिनियम की धारा–22 का स्पष्ट उल्लंघन है।

5–लाईसेंसधारी द्वारा घटना स्थल पर विद्युत चलित कटिंग मशीन पाई गई, जिसे पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। इससे प्रतीत होता है कि लाईसेंसधारी द्वारा आतिशबाजी स्थल पर मशीन से कटिंग कार्य किया जाता था, जो कि विस्फोटक अधिनियम की धारा–31 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

6–लाईसेंसधारी द्वारा निर्माण स्थल पर आतिशबाजी की निर्माण क्षमता 15 किलो से अधिक आतिशबाजी का निर्माण होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान 42 कार्टन निर्मित माचिस/तिल्ली के पाये गये एंव शेष निर्मित/अर्द्धनिर्मित प्रतिबंधित पटाखा परिसर में चारो ओर फैला पाया गया।

7–उक्त परिसर वर्तमान में प्रभारी अधिकारी आयुध के पत्र सं0 1493/आयुध सहायक दिनांक 26.04.2025 के द्वारा सील कर दिया गया है एंव वर्तमान में थाना देवबन्द पुलिस की निगरानी में है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर स्पष्ट होता है कि लाईसेंसधारी मो0 नफीस पुत्र महमूद हसन नि0 मौ0 मुलतियान कायस्थवाडा थाना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के आतिशबाजी लाईसेंस संख्या 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण कार्यस्थल खसरा नंबर 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा आतिशबाजी के स्वीकृत लाईसेंस की शर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा था, जिस कारण उक्त निर्माण स्थल पर विस्फोटक होने के कारण कार्य कर रहे मजदूरो की दुखद मृत्यु हुई। समिति एक राय होकर लाईसेंसधारी नफीस पुत्र महमूद हसन के लाईसेंस संख्या 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

8–लाईसेंसधारी मौ0नफीस के उपकारागार देवबन्द में निरूद्ध होने के कारण उनके द्वारा जेलर उपकारागार देवबन्द के पत्र सं0 1053/ई0ओ0 दिनांक 11.06.2025 माध्यम से अपना स्पष्टीकरण**(छायाप्रति संलग्न–8)** के द्वारा अपना प्रत्युत्तर दिनांक 11.06.2025 प्रस्तुत किया गया।

9–कार्यालय आदेश सं0 1882/आयुध सहायक दिनांक 27.06.2025 **(छायाप्रति संलग्न–9)** के द्वारा मौ0नफीस पुत्र महमूद हसन नि0 मौ0 मुलतियान कायस्थवाडा थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर के आतिशबाजी लाईसेंस सं0 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण कार्यस्थल खसरा नं0 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये मौके पर आतिशबाजी व्यवसाय प्रतिबंधित किया गया है।

10–प्रभारी अधिकारी(दैवी आपदा) के पत्र सं0 331/दै0आ0/2025–26 दिनांक 05.06.2025 **(छायाप्रति संलग्न–10)** के अनुसार मृतको के आश्रितो को निम्नानुसार अहैतुक सहायता प्रदान की गई है:–

क्र0 सं0	मृतक का नाम	लाभार्थी/आश्रित का नाम	घटना का दिनांक	क्षति	क्षति का कारण	प्रदान की गई अहैतुक सहायता
1	काका पुत्र रामकुमार आयु 24 वर्ष	श्रीमती हेमलता पत्नी काका नि0 फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा	26.04.2025	जनहानि	पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से	4,00,000.00
2	विजय पुत्र राजबल आयु 22 वर्ष	श्रीमती पुष्पा पत्नी राजबल नि0 जडौदा जट	26.04.2025	जनहानि	पटाखा फैक्ट्री में आग लगने	4,00,000.00

District Magistrate Office Arms Section Saharanpur (U.P.)

					से	
3	विशाल पुत्र सन्दीप आयु 22 वर्ष	संदीप पुत्र ब्रिजपाल नि0 गुनारसा	26.04.2025	जनहानि	पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से	4,00,000.00

11– विस्फोटक नियम–2008 के नियम–103(8) में मृतक कर्मकार को आतिशबाजी लाईसेंसी द्वारा रू. 10,000/–(रू0 दस हजार) प्रति मृतक व्यक्ति क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लाईसेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षतिपूर्ति की धनराशि मृतक श्रमिको के आश्रितो को पत्र सं0 2005/आयुध सहायक दिनांक 19.07.2025**(छायाप्रति संलग्न–11)** के द्वारा तहसीलदार देवबन्द के माध्यम से निम्नवत क्षतिपूर्ति की धनराशि रू.10,000/–(रू0 दस हजार) के चैक का निम्नवत प्राप्ति कराई गई:–

क0 सं0	मृतक का नाम	लाभार्थी/आश्रित का नाम	बैंक का नाम	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	काका पुत्र रामकुमार नि0 फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा जिला सहारनपुर	श्रीमती हेमलता पत्नी काका नि0 फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा जिला सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंक, कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड सहारनपुर	174775	18.07.2025	10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र)
2	विजय पुत्र राजबल नि0 जडौदा जट जिला सहारनपुर	श्रीमती पुष्पा पत्नी राजबल नि0 जडौदा जट जिला सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंक, कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड सहारनपुर	174776	18.07.2025	10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र)
3	विशाल पुत्र संदीप नि0 गुनारसा जिला सहारनपुर	संदीप कुमार पुत्र ब्रिजपाल नि0 गुनारसा जिला सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंककलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड सहारनपुर	174777	18.07.2025	10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र)

12– तहसीलदार देवबन्द के पत्र सं0 2510/रा0लि0 दिनांक 26.07.2025**(छायाप्रति संलग्न–12)** के द्वारा उपरोक्त चैक मृतक श्रमिको के आश्रितो प्राप्त कराये जा चुके है और उनके द्वारा चैक प्राप्ति की रसीदे भी उपलब्ध कराई गई है।

13– उपरोक्त घटना में मृतक श्रमिको के आश्रितो द्वारा न्यायालय आयुक्त, अन्तर्गत कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 एंव उप श्रम आयुक्त, सहारनपुर में धारा 22 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत दिनांक 02.07.2025 को 1. वाद सं0 08/2025 श्रीमती सुमन आदि बनाम मै0ईगल फायर वर्क्स 2. वाद सं0 09/2025 श्रीमती पुष्पा आदि बनाम ईगल फायर वर्क्स 3. वाद सं0 10/2025 श्रीमती मुनेजा आदि बनाम ईगल फायर वर्क्स योजित किया गया है, जिसमें दिनांक 28.08.2025 को आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 एंव सहायक श्रमायुक्त, सहारनपुर द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये है:–

क0सं0	**मृतक का नाम**	**वाद सं0**	**वादी**	**प्रतिवादी**	**आदेश का दिनांक**	**देय क्षतिपूर्ति**
1	विशाल पुत्र संदीप कुमार नि0 ग्राम गुनरसा	08/2025 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्नक–13	1.श्रीमती सुमन पत्नी संदीप 2. संदीप पुत्र ब्रिजपाल	मै0ईगल फायर वर्क्स	28.08.2025	12,16,871/–
2	विजय पुत्र राजबल	09/2025	1.श्रीमती पुष्पा	मै0ईगल	28.08.2025	12,16,871/–

District Magistrate Office Arms Section Saharanpur (U.P.)

	नि0 ग्राम जडौदा जट	प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्नक–14	पत्नी राजबल 2. राजबल पुत्र शेरसिंह	फायर वर्क्स		
3	राहुल उर्फ काका पुत्र पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा	10/2025 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्नक–15	1.श्रीमती मुनेजा पत्नी रामकुमार 2. रामकुमार पुत्र भमूला 3.श्रीमती हेमलता पत्नी काका 4.लविश पुत्र राहुल उर्फ काका	मै0ईगल फायर वर्क्स	28.08.2025	12,09,065/–

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपर जिलाधिकारी(वित्त एंव राजस्व), सहारनपुर से समन्वय स्थापित करते हुये **Original Application No 232/2025 News Item titled ''Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" appearing in the News Minute dated 26.04.2025** में नियत दिनांक से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल कराने की कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

(मनीष बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

प्रतिलिपिः 1– सुश्री प्रियंका स्वामी, अधिवक्ता, स्टेट आफ यू0पी0 सीनियर पैनेल, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया को इस अनुरोध के साथ कि जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल कराने का कष्ट करे।

2–अपर जिलाधिकारी(वित्त एंव राजस्व), सहारनपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

District Magistrate Office Arms Section Saharanpur (U.P.)